



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1709/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-294-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(355)-2025

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-163

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 44 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, वार्षिक विवरणी दाखिल करने के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने में एतद्द्वारा छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1709 / XI-2-25-9(47) / 17-T.C.-294-U.P. Act-1-2017-Order-(355)-2025, dated September 20, 2025 :

No. 1709 / XI-2-25-9(47) / 17-T.C.-294-U.P. Act-1-2017-Order-(355)-2025

Dated Lucknow, September 20, 2025

In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of Section 44 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, in respect of filling of annual return for the financial year 2024-25 onwards, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to two crore rupees, from filling annual return that said financial year.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 191 राजपत्र-2025-(579)-599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट) ।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 13 सा0 राज्य कर-2025-(580)-500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट) ।